भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3791

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

3791. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की पर्याप्त संख्या न होने के कारण आम जनता, किसानों, स्वयं-सहायता समूहों, छोटे व्यवसायों और छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए नए राष्ट्रीयकृत बैंक/शाखाएं खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकिंग पहुंच में वृद्धि करने के लिए मोबाइल बैंकिंग इकाइयों, बैंक मित्र/बिजनेस कॉरस्पोंडेंट (बीसी) मॉडल और डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट्स का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है जिसकी देखरेख संबंधित राज्य सरकार, सदस्य बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) द्वारा की जाती है। बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई के निर्देशों, अपनी व्यावसायिक योजनाओं और अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आलोक में बैंकिंग आउटलेट खोलने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं। बैंकिंग आउटलेट खोलने की व्यवहार्यता का और अधिक आकलन करने के लिए, बैंक आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करते हैं।

अलीराजपुर जिले के सभी 539 आबाद गांवों, रतलाम जिले के 1055 गांवों और झाबुआ जिले के 784 गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी न किसी बैंक शाखा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) या

आईपीपीबी केंद्र द्वारा कवर किया गया है। दिनांक 31.01.2026 तक मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर निर्वाचन क्षेत्र में बैंकिंग अवसंरचना का ब्यौरा इस प्रकार है:-

ज़िला	शाखाएं	बीसी	एटीएम	आईपीपीबी
अलीराजपुर	52	1,613	30	101
झाबुआ	91	2,967	52	116
रतलाम	192	3,788	189	188
मध्य प्रदेश में कुल	8,629	1,74,869	9,254	10,416

स्रोत: जेडीडी ऐप

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्वानुमति के बिना भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कि 25% शाखाएं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में हों। साथ ही, देश ने दिसंबर 2025 तक 119 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) के अभिनियोजन के माध्यम से अपने डिजिटल परिवर्तन को गति दी है, जिससे पारंपरिक और डिजिटल भुगतान को अपनाए जाने के बीच के अंतर को पाटा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिष्कृत बैंकिंग सेवाएं सुलभ हैं।

इसके अलावा, सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी आबाद गांवों के 5 किलोमीटर (कि.मी.) के भीतर बैंकिंग सुविधा (बैंक शाखा/ बीसी/ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)) उपलब्ध हो। बैंकिंग आउटलेट्स की उपलब्धता की निगरानी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप, अर्थात जन धन दर्शक एप्लिकेशन (जेडीडी ऐप) द्वारा की जाती है। बैंकों द्वारा जेडीडी ऐप पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर, दिनांक 27.02.2026 तक देश के 99.92% गांवों में 5 किमी के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं (बैंक शाखा/ बीसी/ आईपीपीबी) मौजूद हैं।
